

कार्यालय नगर पालिका परिषद गौरा बरहज, जनपद—देवरिया

पत्रांक

/ 2016 नोंपाठी (2015–16)

दिनांक : 09-03-2016

अल्पकालिक निविदा—सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से निम्नलिखित निर्माण कार्यों को कराने हेतु दिनांक— 19.03.2016 को अपराह्न 3 बजे तक मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं, जो नगरपालिका कार्यालय में द्वारा खोला जायेगी, प्राप्त निविदाओं को उसी दिन अपराह्न 4 बजे नगरपालिका कार्यालय, में सक्षम अधिकारी द्वारा खोला जायेगा। निर्माण कार्य से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र नगरपालिका परिषद गौरा बरहज कार्यालय एवं अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) / प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय देवरिया के कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा कर दिनांक— 17.03.2016 तक किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ जमानत धनराशि नगद जमा धनराशि की रसीद या एफ०डी०आर० / एन०एस०सी० / केंवी०पी० आदि जो अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद गौरा बरहज के पदनाम से बन्धक हो मूल रूप से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा तथा उसका उल्लेख निविदा प्रपत्र में करना अनिवार्य होगा। जमानत धनराशि की छाया-प्रति मान्य नहीं होगी। निविदा से सम्बन्धित नियम व शर्तों की जानकारी कार्यालय दिवस एवं समय के अन्दर कार्यालय नगरपालिका परिषद गौरा बरहज से प्राप्त की जा सकती है। निर्माण कार्यों के निविदा प्रपत्र नगरपालिका परिषद गौरा बरहज के पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों को ही विक्य की जायेगी।

अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार होगा की किसी भी निविदा को विना कारण बतायें निरस्त कर दें। ठेका स्वीकृति के पश्चात आवश्यक स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा। सूचना बेबसाईट www.deoria.nic.in पर उपलब्ध होगा।

कार्य का विवरण

क्रम सं०	कार्य का नाम	आगणन की धनराशि	धरोहर धनराशि	निविदा मूल्य	कार्य समाप्ति की तिथि
1	नगरपालिका सीमान्तर्गत शुद्ध पेय जलापूर्ति हेतु वार्ड सं०— 08 में पुलिस चौकी के सामने, बन्सराज जायसवाल के घर के सामने, ख०० किशोरी जायसवाल के घर के सामने, छोटेलाल चौहान के घर के बगल में कुँए पर, जयप्रकाश के घर के सामने, सुवाप सोनकर के घर के बगल में, छेदी सोनकर के घर के सामने, स्तीश सोनकर के घर के सामने, एवं वार्ड सं०— 19 में श्री गोपाल सराफ के मकान पास, सरयू विद्या पीठ रक्कूल के पास, भरमल गोड के मकान के पास तथा वार्ड सं०— 25 में राधेश्याम यादव के मकान पास कुल 12 अदद जगहों पर स्टैम्प पोस्ट का निर्माण कार्य।	457400.00	45740.00	500.00	31.03.2016
2	नगरपालिका सीमान्तर्गत शुद्ध पेय जलापूर्ति हेतु वार्ड सं०— 15 में अशोक सिंह के मकान पास, सत्यनरायण निषाद के मकान पास, जुमराती मिथा के मकान पास मानिकचन्द के मकान पास, नेबू सोनकर के मकान पास, लालू केवट के मकान पास एवं वार्ड सं०— 22 में फूलमती माई मन्दिर के पास, किशुन हजाम के मकान के पास, प्रेमशीला देवी के मकान के पास, जयराम निषाद के मकान के पास उमा चौरसिया के मकान के पास तथा वार्ड सं०— 20 में डम्पी के मकान पास कुल 12 अदद जगहों पर स्टैम्प पोस्ट का निर्माण कार्य।	457400.00	45740.00	500.00	31.03.2016
3	नगरपालिका सीमान्तर्गत शुद्ध पेय जलापूर्ति हेतु वार्ड सं०— 20 में शीतल चाय वाले के पास, वार्ड सं०— 15 में कोट की देई माता मन्दिर के पास, वार्ड सं०— 20 में सामुदायिक अस्पताल के परिषर में, वार्ड सं०— 24 में रामनिवास पांडेय के मकान पास कुल 4 अदद जगहों पर जल प्याज का निर्माण कार्य।	223000.00	22300.00	250.00	31.03.2016

नियम व शर्तें—

- निविदादाता को अनिवार्य रूप से अपना अद्यतन जिलाधिकारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण—पत्र, हैसियत प्रमाण—पत्र एवं वैट पंजियन प्रमाण—पत्र तथा पैन कार्ड की रवप्रमाणित छाया-प्रति निविदा के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- निर्माण/विद्युतीकरण कार्यों में निविदादाता को अपनी निविदा के साथ 10 % की दर से निर्धारित जमानत/धरोहर धनराशि आगणन की धनराशि के सापेक्ष किसान विकास पत्र/राष्ट्रीय बचत पत्र/बैंक एफ०डी०आर०/टी०डी०आर० आदि को निविदा पत्र के साथ संलग्न करना होगा। विना जमानत के निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। प्रत्येक कार्य के लिये अलग—अलग जमानत हेतु किंवि०प०/एन०एस०सी०/बैंक एफ०डी०आर०/पी०डी०आर० जमा करना आवश्यक होगा; जो कार्य समाप्ति के छ: माह पश्चात कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में पालिका द्वारा अवमुक्त की जायेगी।
- निविदा रखीकृति के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर ठेकेदार/फर्म को नियमानुसार कार्य के सम्बन्ध में स्टाम्प एक्ट के अनुसार जमानत धनराशि के सापेक्ष अपने व्यय से स्टाम्प कथ कर अनुबन्ध/इकरारनामा अनिवार्य रूप से लिखना होगा।

4. ठेकेदार/फर्म को निर्माण/विद्युतीकरण स्थल पर अपने निर्माण/विद्युतीकरण सामग्री की सुरक्षा स्वयं करनी होगी।
5. ठेकेदार/फर्म को निर्माण कार्य का कार्यादेश दिये गये नियत समय के अन्दर पूर्ण करना होगा। यदि निर्धारित समय तक कार्य पूरा नहीं हुआ तो ठेकेदार/फर्म द्वारा जमानत की धनराशि जब्त करते हुए ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। जिसकी सारी जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी।
6. ठेकेदार/फर्म को आगणन के अनुसार निर्माण कार्य करना होगा, निर्माण/विद्युतीकरण कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि/कमी पाये जाने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।
7. निर्माण/विद्युतीकरण कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर जिला प्रशासन/ नोपा० द्वारा दिये गये आदेशों/निर्देशों का पालन ठेकेदार को करना होगा।
8. जमानत की धनराशि, स्थल पर कार्य संतोष जनक पाये जाने पर अन्तिम भुगतान के पश्चात् छः माह व्यतीत हो जाने पर जमानत धनराशि वापस की जा सकेगी।
9. निविदादाता को अपनी निविदा स्पष्ट रूप से कम या अधिक प्रतिशत में देनी होगी।
10. किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी में निहित है।
11. निविदा प्रपत्र पर निविदादाताओं के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए तथा संलग्न जमानत धनराशि का उल्लेख निविदा प्रपत्र पर अकित होना आवश्यक है। अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगा।
12. किसी भी ठेकेदार/फर्म अथवा उसके सहयोगी द्वारा निविदा इत्यादि कार्य में अपमान, अभद्रता, दुर्व्यवहार इत्यादि करने पर सम्बन्धित को ब्लैक लिस्टेड (काली सूची में) करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी।
13. निविदा पत्र पर कटिंग/ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगा।
14. निविदा स्वीकृति के पश्चात् जमानत की धनराशि तथा नियमानुसार स्टाम्प पेपर पर इकारानामा लिखने के पश्चात् ही कार्यादेश जारी किया जायेगा।
15. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा दर प्रतिशत में देना अनिवार्य होगा।
16. सम्बन्धित निविदा मोहर बन्द लिफाफे में देना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
17. भुगतान शासकीय अनुदान की शर्तों तथा वित्तीय नियम संग्रह के अनुसार किया जायेगा।
18. निविदा अध्यक्ष/अधिकारी के नाम शीलबन्द लिफाफे में निर्धारित तिथि समय पर निविदा पेटिका में डालना होगा। लिफाफे पर प्रेषक का नाम, पता इत्यादि स्पष्ट लिखा अनिवार्य है।
19. यदि ठेका प्राप्त करने के पश्चात् ठेकेदार/फर्म के विरुद्ध माफिया गतिविधियों/असामाजिक गतिविधियों व संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के बारे में कोई शिकायत प्रमाणित पायी जाती है, तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह आपका ठेका/अनुबंध निरस्त कर दें। इस पर आपको कोई आपत्ति नहीं होगी/आपके द्वारा यदि विभाग/राज्य सरकार के विरुद्ध कोई अपराधिक कृत्य किया जाता है अथवा सरकारी धन का गबन किया जाता है तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह आपके विरुद्ध अपराधिक मुकदमा नियमों के अन्तर्गत दर्ज करायें।
20. यह कि टी-६, स्वघोषणा शपथ-पत्र रु० 100/- (एक सौ रुपये) के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा साक्ष्यों की उपस्थिति में सत्यापित कराते हुए दिया जायेगा। जिसे निविदा के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(निलेश रमन)
अधिकारी अधिकारी
नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
देवरिया

(अजीत जायसवाल)
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
देवरिया

पत्रांक ८५६(५) २०१६ नोपा०परि० (२०१५-१६) तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कार्यालय नगरपालिका परिषद गौरा बरहज के सूचना पट्ट पर चर्चा हेतु।
2. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र "स्वतन्त्र चेतना" एवं "राष्ट्र की परम्परा" को इस आशय से प्रेषित कि निविदा सूचना न्यूनतम स्थान में प्रकाशित कर समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित बिल पालिका कार्यालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
3. जिलाधिकारी, देवरिया।
4. उप जिलाधिकारी, बरहज।
5. जिलाधिकारी एन०आई०सी० कार्यालय, देवरिया।

अधिकारी अधिकारी
नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
देवरिया

अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
देवरिया
जनपद - देवरिया